

वैकल्पिक वृक्षारोपण संबंधी प्रमाण-पत्र

ज्ञाप. क्र. 1.8.4.2

/शिल्प-22/वन प्रत्यावर्तन/

धमतरी, दिनांक १०/०५/ 2022

—000—

बिन्दु क्र. 7- प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग धमतरी, संभाग धमतरी द्वारा जिला धमतरी के मेधा-सिंगपुर-दुगली मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) का उन्नयन, नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य पुल-पुलिया सहित लंबाई 35.00 किमी. में निर्माण किया जाना है। जिसमें राजस्व क्षेत्र रकबा 20.721 हेक्टे. (लंबाई 12.971 किमी.) तथा वन क्षेत्र रकबा 37.973 हेक्टे. (लंबाई 23.715 किमी.) का कक्ष क्र. 64, 74, 38, 76, 55, 57, 78, 39, 77, 87, 254, 260, 258A, 69, 259, 258 एवं 63 है। वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 37.973 हेक्टे. वन भूमि के लिए क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation (I), (II), (III)) हेतु पूर्व में डामरीकृत विद्यमान मार्ग के एकरेखण (Alignment) के अनुसार चयन कर प्रस्ताव में संलग्न किये जाने हेतु संस्थान वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग धमतरी
संभाग-धमतरी (छ.ग.)